भैंवाराम बनाम प्रभाती देवी मु. नं. 86/2011

दिनांक	आज्ञा पत्र
18.10.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4.11.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
4.11.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट डिक्री की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय रारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 86/2011

1 मेघाराम उम्र 44 साल पुत्र श्री लक्ष्मणराम नेहरा जाति जाट निवासी ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभाती देवी पुत्री स्व. चेताराम पत्नी रामदेव जाति जाट निवासिनी ग्राम कुड़ली तहसील व जिला सीकर राज.।
2 बनारसी देवी पुत्री चेताराम पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर राज.।
3 तीजू देवी पुत्री स्व. चेताराम पत्नी रूघनाथ जाति जाट निवासिनी पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 सावित्री देवी पुत्री स्व. चेताराम पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासिनी ग्राम जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट/वादीगण

5 रामकुमार (फौत)
5/1 मोहनी देवी उम्र 63 साल पत्नी रामकुमार
5/2 विमलेश उम्र 38 साल पुत्र रामकुमार
5/3 रोहिताश उम्र 36 साल पुत्र रामकुमार
5/4 कमलेश उम्र 34 साल पुत्र रामकुमार
5/5 राजू उम्र 32 साल पुत्र रामकुमार
6 भागीरथ (फौत)
6/1 बगूड़ी उम्र 60 साल पत्नी भागीरथ
6/2 रोहिताश उम्र 37 साल दत्तक पुत्र भागीरथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6/3 रामप्यारी उम्र 42 साल पुत्री भागीरथ
6/4 ग्यारसी देवी उम्र 38 साल पुत्री भागीरथ
6/5 सरोज देवी उम्र 36 साल पुत्री भागीरथ
7 धन्ने सिंह पुत्र स्व. चेताराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर राज.।
8 उप पंजीयक सीकर
9 तहसीलदार सीकर
10 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रघुनाथगढ़ जरिये मैनेजर
11 राजस्थान ग्रामीण बैंक पिपराली जरिये शाखा प्रबंधक
12 नारायणी फौत
12/1 किशोर उम्र 60 साल पुत्र नारायणी
12/2 पन्ने सिंह उम्र 47 साल पुत्र नारायणी
12/3 सुरेन्द्र सिंह उम्र 45 साल पुत्र नारायणी
12/4 रामदेव उम्र 43 साल पुत्र नारायणी
12/5 राजेन्द्र उम्र 42 साल पुत्र नारायणी
12/6 सुल्तान उम्र 40 साल पुत्र नारायणी
12/7 सुशीला उम्र 51 साल पुत्री नारायणी
12/8 श्याना उम्र 49 साल पुत्री नारायणी
12/9 किशनी उम्र 55 साल पत्नी जगदीश पुत्र नारायणी
12/10 सत्यपाल उम्र 30 साल पुत्र जगदीश पुत्र नारायणी
12/11 मनीष उम्र 28 साल पुत्र जगदीश पुत्र नारायणी
12/12 सुमित्रा उम्र 25 साल पुत्री जगदीश पुत्र नारायणी
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम लक्ष्मणा का बास तहसील व जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध डिक्री एवं निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी जे.पी. त्यागी आरएएस मु.नं. 363/2007 डिक्री एवं निर्णय दिनांक 14.06.2011 दावा बाबत उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 92ए आरटीएक्ट तथा धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट उनवान प्रभाती देवी बनाम मेघाराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री प्रभतीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 4.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 363/2007 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने धारा 88, 188, 92ए एवं 136 का दावा प्रस्तुत कर ग्राम गुंगारा की भूमि खसरा नम्बर 1898, 1907, 1919, 686, 1910 के संदर्भ में अनुतोष चाहा एवं नामान्तकरण संख्या 397 दिनांक 05.07.2007 को प्रभावहीन घोषित करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

से नामान्तकरण संख्या 397 के संदर्भ में निर्णय पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी संख्या 9 के जवाब हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना बहस सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर नामान्तकरण संख्या 397 को निरस्त कर वारिसान की जांच कर पुनः वारिसान के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी संख्या 9 के जवाब हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना बहस सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर